भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन
विशेष संदेशवाहक/कैम्प बैग द्वारा
निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं. 481/पत्र/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./द्विवार्षिक/2017 तारीखः 5 जुलाई, 2017

सेवा में

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी और
महासचिव, राज्य सभा,
संसद भवन,
नई दिल्ली।

विषय: उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017-मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना।

महोदय,

मुझे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के खण्ड(1) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी विहित है कि उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा। इसलिए, निर्वाचन में मतदान करने वाले निर्वाचक मण्डल के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे उस रीति के संदर्भ में गोपनीयता बनाए रखें जिसके अंतर्गत वे निर्वाचन में मतदान करते हैं। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 18 में निम्नलिखित मतदान प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं जिनका एक निर्वाचक को पालन करना चाहिए:-

"नियम 18(2) मतपत्र प्राप्त करने पर एक निर्वाचक तत्काल: -

(क) मतपत्र कम्पार्टमेंट्स में से एक की ओर बढेंगे;
(ख) नियम 17 के उप-नियम (2) के अनुसार अपने मत को रिकार्ड करेंगे;
(ग) अपने मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ देंगे;
(घ) मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डालेंगे; और
(ङ) मतदान के स्थान से बाहर चले जाएंगे"

2. अतः, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपने मत को रिकार्ड करने के पश्चात मतदाता अपना मत छुपाने के उद्देश्य से मतदान कक्ष के अंदर ही अपना मतपत्र मोड दे और किसी भी परिस्थिति में मतदाता को मतदान स्थान के भीतर मौजूद किसी अन्य व्यक्ति को चिह्नित मतपत्र दिखाने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, मतपत्र की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए इसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि मतदाताओं को मतदान की शुरुआत में मतपत्र यादृच्छिक रूप से

जारी किए जाएं और न कि ठीक उनकी क्रम संख्या के अनुक्रम में क्रम संख्या 1 से प्रारम्भ करके। तथापि, मतदान के अन्त में जारी किए गए मतपत्र, निर्वाचकों को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या एक से अंतिम संख्या तक सतत क्रमिक क्रम संख्याओं मे होने चाहिएं।

3. आपका ध्यान राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 29 के साथ पठितराष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 22 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जो मतों को दर्ज करने के संबंध में कोई भी ड्यूटी निष्पादित करने वाले सभी अधिकारियों और अन्य सभी व्यक्तियों के लिए अपेक्षित करता है कि वे मतों की गोपनीयता बनाए रखें। यदि गोपनीयता का उल्लघंन किया जाता है तो उक्त धारा 22 में जुर्माने का प्रावधान है। आपको मतदान स्थल तथा मतों की गणना के स्थान पर उपस्थित व्यक्तियों के सामने उक्त धारा 22 के प्रावधानों को पढ़ना चाहिए।

4. अनुरोध है कि मतों को दर्ज करने के साथ-साथ मतों की गणना को शुरु करने से पहले विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

5. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

(आर. के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव